

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
७वाँ तल, सी — विंग दिल्ली सचिवालय,
आई. पी इस्टेट, नई दिल्ली—110002.

एफ.53(....) / अता. / ता प्र.सं २३ / द्वि.सत्र का चतुर्थ भाग—2022 / दिविस / श.वि. / १५१५-१५१६ दिनांक: ०३-०१-२०२२

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
पुराना सचिवालय, दिल्ली —110054.

विषय:—दिल्ली सातवीं विधानसभा के द्वि.सत्र का चतुर्थ भाग तारांकित प्र. स.²³ माननीय विधायक श्री.....^{माननीय} दिनांक 04.01.2022 को सदन की बैठक के सन्दर्भ में।

महोदया / महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्घत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों, माननीय मंत्री शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित अग्रिम कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उप—सचिव (संसदीय शाखा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :—

- निजी सचिव, माननीय मंत्री शहरी विकास (दिल्ली सरकार) ७वाँ तल 'ए' विंग, दिल्ली सचिवालय नई दिल्ली।
- निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों सहित।

उप—सचिव (संसदीय शाखा)

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
९वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्ड्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : सुश्री भावना गौड़

दिनांक : 04.01.2022

विधानसभा तारांकित प्रश्न संख्या : 23

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	पालम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जलाशयों (जोहड़) का विवरण, उनकी स्थिति और क्षेत्र क्या है;	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार पालम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दो जलाशय पड़ते हैं। खसरा नं० 153 एवं 155, पालम गांव, जिनका रखरखाव का कार्य दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा कराया जाता है। उनको दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित नहीं किया है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधीन उपरोक्त दो जलाशयों पर कोई अतिक्रमण नहीं है। राजस्व विभाग दिल्ली सरकार से जवाब लंबित है।
ख	क्या यह सत्य है कि इन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया गया है;	उपरोक्तानुसार।
ग	क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को इनके रखरखाव के लिए जिम्मेदार है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;	उपरोक्तानुसार।
घ	गा यह सत्य है कि भू-माफिया ने ऐसे ऐसे अनेक जलाशयों पर अतिक्रमण कर लिया है;	उपरोक्तानुसार।
ड	यदि हां, तो इसका विवरण क्या है;	उपरोक्तानुसार।
च	क्या यह भी सत्य है कि इन स्थानों पर बिल्डर्स द्वारा अनधिकृत निर्माणकार्य किए जा रहे हैं; और	उपरोक्तानुसार।
छ	यदि हां, तो इन्हें रोकने और इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी विभाग कौन-सा है?	उपरोक्तानुसार।



Uy. Secretary (U.D./P.C.)
 Govt. of N.C.T. of Delhi
 Delhi Secretariat
 I.P. Estate, New Delhi-02

पूरक सामग्री तारांकित प्रश्न संख्या—23

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार पालम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दो जलाशय खसरा नं० 153 एवं 155, पालम गांव में पड़ते हैं, जिनका रखरखाव का कार्य दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा कराया जाता है। उनको दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित नहीं किया है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधीन उपरोक्त दो जलाशयों पर कोई अतिक्रमण नहीं है।



Uy. Secretary (U.D.I.P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02